संख्या– 18 /III(2)/17–08(मु0मं0घो0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–985/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में ग्राम सभा आसारोड़ी की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कार्य के शासनादेश में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या–4874 /III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19 जून, 2015 के संलग्नक के क्रमांक–03 के अनुसार लम्बाई 3.51 किमी0 तथा लागत ₹ 266.35 लाख हेतु प्रदान की गई है।

2– उपर्युक्त के अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लो0नि0वि0, देहरादून के द्वारा अपने पत्रांक–3054/9 (133)याता0–स्तर–1(क्षे0का0)/2016, दिनांक 31.12.2016 के माध्यम से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2015 के संलग्नक के क्रमांक–03 पर स्वीकृत कार्य से संबंधित अनुमोदित विस्तृत आगणन के पृष्ठ संख्या–33 से 34 में अनुमोदित कार्यों में से 06 कार्यों को निरस्त करते हुये, उनके स्थान पर समग्र रूप से स्वीकृत लम्बाई एवं लागत की सीमान्तर्गत समान प्रकृति के कुल 11 कार्य अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 19 जून, 2015 के क्रमांक–03 पर उल्लिखित् मार्गो की कुल लम्बाई 3.51 कि0मी0 तथा कुल लागत ₹ 266.35 लाख में कोई परिवर्तन नहीं होना है।

3– अतः विषयगत प्रस्ताव के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2015 के संलग्नक के क्रमांक–03 पर स्वीकृत कार्य से संबंधित अनुमोदित विस्तृत आगणन के पृष्ठ संख्या–33 से 34 के मध्य अनुमोदित 06 कार्यों को निरस्त करते हुये उनके स्थान पर संलग्न विवरणानुसार कुल 11 अन्य कार्यों को अनुमोदित किये जाने हेतु एतदद्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

4– संदर्भित शासनादेश संख्या–4874 /III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19 जून, 2015 के संलग्नक के क्रमांक–03 पर स्वीकृत कार्य एवं अनुमोदित विस्तृत आगणन को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। स्वीकृत कार्य की कुल अनुमोदित लम्बाई, लागत, अन्य अनुमोदित कार्य एवं कार्य की प्रकृति तथा संदर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या– /III(2)/17–08(मु0मं0घो0)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– / III(2) / 17–08(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक जनवरी, 2017 का संलग्नक

क्र.	शासनादेश दिनांक 19 जून, 2015 के कमांक–03 पर स्वीकृत कार्य के अनुमोदित आगणन में सम्मिलित कार्यों / सड़कों का विवरण	क्र. सं.	शासनादेश दिनांक 19 जून, 2015 के कमांक–03 पर स्वीकृत कार्य के अनुमोदित आगणन में सम्मिलित कार्यों / सड़कों के स्थान पर वर्तमान में अनुमोदित कार्य
1	ब्रिजपाल के घर से रेखा रावत के घर तक मार्ग निर्माण।	1	मेंहुंवाला वन विहार में जे0एस0 रावत के घर से एम0एस0 अन्सारी के घर तक मार्ग निर्माण।
2	प्रेमा की दुकान से वृद्धाश्रम तक मार्ग निर्माण।	2	मेहुंवाला शिमला मेन रोड़ से माउन्ट लिटेत जी स्कूल तक मार्ग निर्माण।
3	तिब्बती कॉलोनी के अन्दर जी लेन में मार्ग निर्माण।	3	हरवजवाला मेन रोड़ से नरेन्द्र सिंह के घर तक मार्ग निर्माण।
4	नीमा के घर से सालू के घर तक मार्ग निर्माण।	4	तुन्तोवाला मेन रोड़ से कुंवर सिंह के घर तक मार्ग निर्माण।
5	पासिंग के घर से तेजिंग के घर तक मार्ग निर्माण।	5	मेहुंवाला लक्ष्मण गढ़ी मुख्य मार्ग से पंकज कुमार के घर तक मार्ग निर्माण।
6	मिंडोलिंग मन्दिर के पास मार्ग निर्माण।	6	मेहुंवाला लक्ष्मण गढ़ी मुख्य मार्ग से चिन्ता राम के घर तक मार्ग निर्माण।
		7	मेहुंवाला लक्ष्मण गढ़ी गोविन्द भट्ट के घर से वीनीत के घर तक मार्ग निर्माण।
		8	मेहुंवाला वाजिद प्राविजनल स्टोर से चन्दाताल मार्ग तक निर्माण।
		9	तुन्तोवाला मेन रोड़ से बाबूदीन के घर तक मार्ग निर्माण।
		10	घराट रोड़ से कुंवर सिंह के घर तक मार्ग निर्माण।
		11	तुन्तोवाला मेन रोड़ से इकरार के घर तक मार्ग निर्माण।

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 50 / 20 याता0'क' / 2017 दिनांक– 09 .01.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभिन्यता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड